

12/28/21

Form No-|||

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किसा मुकदमा 136 एल आर एक्ट

बनाम सरकार

नम्बर 173 सन् 2021

जी सी एम एस आई डी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील जारी किए
28/10/21	<p>तहसीलदार भूअ./ नायब तहसीलदार <u>राजसिंह</u></p> <p>रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2021/332-403</p> <p>दिनांक 28/10/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>रायसिंहनगर</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>3FFB</u> की जमावंदी सम्बत् 2075-2078 के खाता सं <u>16</u> में <u>0BC</u> <u>राजसिंह</u></p> <p>के स्थान पर <u>P.A.B राजसिंह</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की है। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में प्रशासनिक मामलों तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>राजसिंह</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर चक <u>3FFB</u> तहसील रायसिंहनगर की जमावंदी सम्बत् 2075-2078 के खाता सं <u>16</u> में <u>0BC</u> <u>राजसिंह</u></p> <p>के स्थान पर <u>P.A.B राजसिंह</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फाँसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

